कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

E-mail: dfopithoragarh@rediffmail.com Fax &☎ 05964- 225234

पत्रॉकः 5774/12–1 दिनांक, पिथौरागढ़, 25 मार्च, 2023।

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषयः– **मा0मु0घो0 संख्याः–584/2012 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधानसभा क्षेत्र धारचूला में नारायण आश्रम से पस्ती जयकोट मोटर मार्ग का निर्माण कार्य के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के निराकरण के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भः– **दिनांक 15/3/2021 ऑनलाइन माध्यम से लगाई गयी आपप्ति।**

महोदय,

उपरोक्त विषयक के क्रम में उक्त मोटर मार्ग में ऑनलाइन माध्यम से लगायी गयी आपत्तियों का प्रस्तावक विभाग द्वारा निम्नानुसार निराकरण कर बिन्दुवार आख्या निम्नवत प्रेषित हैः–

क्र0 सं0	आपत्ति	आख्या
1	User Agency may submit the reason for delav of four year to submit the hard copy of the proposal	प्रस्तावक विभाग द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय के पत्रांक मेमों/ 3 ए0सी0 अस्कोट दिनांक 04 जून 2015 द्वारा पूर्व में भी हार्ड कापी की प्रति अपर प्रमुख, वन संरक्षक नोडल अधिकारी देहरादून (प्राप्ति संलग्न) एवं इस कार्यालय के पत्र संख्या 913/13सी0 दिनांक 07.07. 2015 द्वारा वन संरक्षक उत्तरी कुमाऊँ वृत्त अल्मोड़ा को हार्ड कापी (प्राप्ति संलग्न) प्रेषित की गयी है।
2	User Agency may mention the details of road and muck disposal separately at para-B(2.4) part-1	प्रस्तावक विभाग द्वारा para-B(2.4) part-1 अलग से मोटर मार्ग एवं muck disposal अलग अलग कर अपलोड कर दिया गया है।
3	On perusal of the KML file, alignment of the proposed road is going beyond beneficiary village. State govt. may also locate the beneficiary village in KML File	लाभान्वित ग्राम सभा सोंसा तोक नयंन, जयकोट तोक पस्ती को के0एम0एल0 फाइल में अपडेट कर अपलोड कर दी गयी है।
4	In justification of the proposal it has been mentioned thet 1020 population of village saunsa and jaikot are not connected from any motor road and villages have to travel 10 to 12 km, However, it is seen that village is already connected and other is very near to the existing road. State Govt may clarify and submit revised justification duly C/S by DFO is required.	ग्राम सभा सोंसा का एरिया लगभग 10 किमी0 का है जिसके अन्तर्गत नारायण आश्रम भी आता है, और जयकोट पस्ती भी बड़ी ग्राम सभा है। जयकोट पस्ती में पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा वर्ष 2017–2018 में गस्कू नामक स्थान से मोटर मार्ग का निर्माण किया गया है। जो कि अभी भी जयकोट पस्ती ग्राम सभा जुड़ नहीं पाया है। जिस कारण मोटर मार्ग का निर्माण कराना आवश्यक है। लाभान्वित परिवार एवं जनसंख्या क्रमशः 216, 1020 ही है। औचित्य प्रमाण पत्र संलग्न है।
5	Alternate alignment seems sketchy.State Govt may explore possibilities to connect the village the non-forest land as len of NFL seems available.	वैकल्पिक संरेखण में अत्यधिक नाप भूमि एवं अत्यधिक वृक्ष प्रभावित हो रहे है। जिससे ग्रामवासी भी इस सड़क संरेखन से सन्तुष्ट नहीं है। अतः प्रस्तावित संरेखण ही उपयुक्त है।
6	User Agency may fill the employment details at para –E seems available.	यह मोटर मार्ग बनने के पश्चात् ग्राम सोंसा जयकोट एवं (तोक नयन, पस्ती) के 1020 ग्रामीणों को अस्थाई रोजगार प्राप्त होगा।
7	User Agency may upload the related document at para –L(iv)(G)and (h)in part-1	L(IV)(G) and (h) में सम्बन्धित document अपडेट कर अपलोड करा दिया गया है।

8	CA scheme is not c/s by DFO Name of the CA area is also not mentioned. Area mentioned found same instead of double state Govt.may uploaded and submit and uploaded revised CAscheme.	पुनः CA scheme नई दर पर प्रभागीय वनाधिकारी, वन प्रभाग पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षर करा कर अपलोड करा दिया गया है।
9	IT has been mentioned in the muck disposal plan that 44462 cum debris will be used out of 84000 cum debris. However, muck disposal plan of only 25000 cum debris submitted instead of 39538 cum debris state Govt. may submit and uploaded revised muck disposal plan	muck disposal plan की आपत्तियों का निराकारण कर पुनः muck disposal plan बनाकर अपलोड करा दिया गया है।
10	The forest land required for muck Muck dumping is mention 0.4907 h (5 number of site) in the land scheduled but it is seen from a document submitted with the hard copy that the area of muck disposal sites in civil land coms 0.4592 ha. Only. State Govt. may submit the clarification in this regard and submit the correct information.	मलवा निस्तारण में ली गयी सिविल भूमि प्रस्ताव में 0.4907 हे0 (5) नग लेण्ड शड्यूल के अनुसार सही अंकित है। त्रुटिवश हार्ड कापी में 0.4590 हे0 हो गया था। जिसे सही कर अपलोड कर दिया है। लैण्ड शैड्यूल संलग्न है।
11	In the land schedule it is mentioned that 0.855 hact. Land fall in revenue record. State Govt. may confirm if it not a forest land as per definition given by supreme court.	वन भूमि प्रस्ताव वर्ष 2015 में गठित कर ऑनलाइन किये गये थे उक्त अवधि में 0.8550 हे0 भूमि का विवरण भू–अभिलेखों में अंकित नहीं था। जिसे राज्य सरकार की भूमि मानी जाती थी उसी प्रकार से प्रस्ताव गठित किये गये थे माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 26/10/2017 के कम में समस्त बेनाप भूमि को रक्षित भूमि घोषित किया गया है।
12	उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार Existing road KML file पर अंकित करें।	Existing road, KML file पर अंकित कर अपलोड कर दी गयी है।

अतः आख्या आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित।

संलग्नः– यथोक्त 04 प्रतियों में।

भवदीय,

(जीवन मोहन दगाड़े)

प्रभागीय वनाधिकारी,

पिथौरागढ़ वन प्रभाग, पिथौरागढ़।

O/C